Email

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन,भोपाल

सूचना का अधिकार

क्रमांक/बोर्ड/सू0अधि0/मै..व.ल./09/2023/1499 दिनांक- 24 /11/2023

प्रति,

चीफ प्रोग्रामर
म.प्र. राज्य कृषि विपण्न बोर्ड,
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत मंडी बोर्ड की बेबसाइट अघतन किये जाने बाबत ।

संदर्भ:-क्रमांक/1976/1671356/2023/2023141 भोपाल, दिनांक 20/11/2023 एवं प्राप्ति दिनांक 23/11/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये निर्देशों के पालन में म.प्र. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत समस्त प्रकटन योग्य जानकारी प्रत्येक तीन माह अंतराल में जानकारी मंडी बोर्ड के संदर्भित पत्र में उल्लेखित बेबसाइट पर अपलोड कराई जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

संलग्न :-संदर्भित पत्र

सहायक लोक सूचना अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/सू0अधि0/मै..व.ल./09/2023/1500 दिनांक- 24 /11/2023

प्रतिलिपि:

1 उप सचिव म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 अपर संचालक(समस्त) .म.प्र. राज्य कृषि विपण्न बोर्ड,मुख्यालय भोपाल (म.प्र.) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत कि प्रत्येक तीन माह के अंतराल में चीफ प्रोग्रामर मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल के बेबसाइट पर अपलोड कराई जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3 संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त) कृषि विपण्न बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.................... सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक तीन माह के अंतराल में की जानकारी चीफ प्रोग्रामर मंडी बोर्ड,मुख्यालय भोपाल के बेबसाइट पर अपलोड कराई जावे।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन,भोपाल

सूचना अधिकार

4 कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग (समस्त)....................... सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक तीन माह के अंतराल में की जानकारी चीफ प्रोग्रामर मंडी बोर्ड,मुख्यालय भोपाल के बेबसाइट पर अपलोड कराई जावे।

5 सचिव कृषि उपज मंडी समिति.......................जिला .... सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक तीन माह के अंतराल में जानकारी चीफ प्रोग्रामर मंडी बोर्ड,मुख्यालय भोपाल के बेबसाइट पर अपलोड कराई जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

[illegible]

क्रमांक / [illegible] /2023/ 11868 भोपाल, दिनांक 18/10/2023

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी,
कार्यालय आयुक्त/संचालनालय ....

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत जानकारी का स्वतः (suo moto) प्रकटन विभागीय वेबसाइट पर किये जाने बाबत।

संदर्भ : मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 990/2021 (किशन चन्द जैन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.08.2023.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 990/2021 किशनचंद जैन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.08.2023 की प्रति संलग्न है। उक्त आदेश अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत् प्रगट किए जाने सम्बन्धी जानकारियों के संदर्भ में धारा 4 के क्रियान्वयन को राज्य सूचना आयोग द्वारा निरंतर monitor किया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं DOPT के परिपत्र दिनांक 07/11/2019 (छायाप्रति संलग्न) के पालन में "अधिनियम" की धारा 4 के तहत समस्त प्रगटन योग्य जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा प्रत्येक तीन माह के अंतराल में जानकारी को अद्यतन कर त्रैमासिक प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करवाये जावें, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के परिपालन में राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वर्षान्त उपरांत 15 जनवरी तक अनिवार्यतः आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मा. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न : WP(C) 990/2021पर मा. सर्वोच्च न्यायालय
का आदेश दिनांक 17.08.2023 एवं
DOPT का परिपत्र दिनांक 07.11.2019.

(राजेश ओगरे)
सचिव
म.प्र. राज्य सूचना आयोग

30 OCT 2023

31/10/23

E:\Supreme Court Cases\Letter\139